

कार्यालय मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम टोक आगार।  
क्रमांक:-मु0प्र०/टोक/सामा./2024/ 6118

दिनांक.....10/12/24

### निविदा सूचना

कार्यालय मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम टोक आगार के अधीनस्त निम्नाकिंत बस स्टैण्ड/स्टौपेजो पर अधिक से अधिक टिकिट जारी के लिए बुकिंग ऐजेन्ट नियुक्त करने हेतु निविदा जारी की जाती है:-

क्र0स0	बुकिंग बस स्टैण्ड/स्टौपेजो का नाम
01	टोक आगार कार्यशाला के बाहर देवली रोड टोक
02	छान
03	सरोली मोड
04	सन्थली
05	धधोली
06	डिग्गी मोड (मालपुरा) टोक साईड
07	सोयला मालपुरा साईड
08	उनियारा
09	बरवाड़ा
10	अलीगढ़

उक्त सभी बुकिंगों घरों का अनुमानित वार्षिक व्यय राशि 07 लाख रुपये (लगभग)। बुकिंग ऐजेन्ट को अधिकतम देय कमिशन दर 5 प्रतिशत होगी।

इच्छुक निविदादाता मुख्य प्रबंधक कार्यालय टोक में निविदा फार्म शुल्क 200/-रु+जीएसटी एवं सुरक्षा राशि 2000/-रुपयं जमा कराकर दिनांक 20.12.2024 से निविदा फार्म प्राप्त कर दिनांक 26.12.2024 को समय 12.00 बजे तक जमा कराकर उक्त निविदा में भाग ले सकता है। निविदा उसी दिन समय 14.00 बजे मुख्य प्रबंधक कार्यालय टोक में निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। सफल निविदादाता द्वारा धरोहर राशि 10000/-रुपये एवं ईटीआईएम प्रतिभू राशि 20000/-रुपये निगम कोष में जमा कराना होगा। जमा सुरक्षा/धरोहर राशि पर निगम द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा स्वीकार/निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। (नियम शर्तें निविदा फार्म के साथ संलग्न हैं।)

8  
मुख्य प्रबंधक  
टोक आगार।

## बुकिंग ऐजेन्सी आवंटन हेतु शर्ते निम्नानुसार हैः-

- 1- सफल निविदादाता द्वारा प्रतिभू राशि 10000 रु निगम कोष में जमा करानी होगी।
- 2- सफल निविदादाता द्वारा ₹10000 राशि 20000 रु निगम कोष में जमा करानी होगी।
- 3- ₹10000 में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर या मशीन गुम होने पर लागत मुल्य निगम कोष में जमा कराने पर ही पुनः मशीन जारी की जा सकेगी।
- 4- ₹10000 में किसी भी राशि / बेलेन्स बुकिंग से पूर्व नियमानुसार डलवाना होगा।
- 5- ऐजेन्सी जिस कार्य समय के लिए आवंटित की गई है उसकी प्रथम से अन्तिम वाहन बुक करेंगे सभी वाहने बुक नहीं करने पर नियमानुसार शास्ति राशि बुकिंग ऐजेन्ट से निगम द्वारा वसूल किया जावेगा।
- 6- निगम की बसों के अतिरिक्त ऐजेन्ट किसी अन्य संस्थान की बस टिकिटों की बिक्री नहीं करेगा।
- 7- बुकिंग ऐजेन्ट प्रतिदिन वाहनों के बुकिंग करने सम्बंधित दस्तावेज जैसे डीएसए इत्यादि प्रतिदिन लेखाकार राजस्व कार्यालय में जमा करायेगा।
- 8- निगम रिकार्ड में हेराफेरी / काट छांट औवर राईटिंग आदि पाये जाने पर तथा यात्रियों से निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने पर ऐजेन्सी समाप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 9- प्रत्येक माह के अन्त में विक्रय किये गये टिकिटों का विक्रय लेखा प्रत्येक माह की पांच तारीक तक प्रस्तुत करना होगा।
- 10- बुकिंग ऐजेन्ट को स्वयं के खर्चे पर विक्रय काउन्टर स्थापित करना यदि निगम द्वारा उक्त काउन्टर एवं अन्य सुविधाएँ जैसे बिजली पानी उपलब्ध कराने पर मासिक खर्चा ऐजेन्ट को जमा कराना होगा।
- 11- बुकिंग ऐजेन्ट को प्रथम बार ऐजेन्सी एक वर्ष के लिए दी जावेगी कार्यव्यवहार संन्तोषप्रद पाये जाने पर ऐजेन्सी अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
- 12- ऐजेन्ट यदि ऐजेन्सी स्वयं की ईच्छा से छोड़ना चाहे तो इस कार्यालय में 30 दिवस पूर्व व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें तथा तथा रिफण्ड राशि में से 5 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काटी जावेगी।
- 13- बुकिंग ऐजेन्ट मुख्य प्रबंधक की बिना पूर्व अनुमति के बुकिंग कार्य से अनुपस्थित होता है तो मुख्य प्रबंधक उसको हटाने के लिए सक्षम होगा परन्तु यदि मुख्य प्रबंधक से पूर्व अनुमति लेकर किन्हीं कारणवश बुकिंग कार्य से अनुपस्थित रहता है तो मुख्य प्रबंधक ऐसी अत्यं अवधि के लिए ऐजेन्ट के द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति को बुकिंग कार्य के लिए अधिकृत कर सकेंगे जिसका फोटो एवं अन्य विवरण कार्यालय में रखें जावेंगे।
- 14- यदि किन्हीं कारणों से ऐजेन्सी धारक द्वारा अनुबन्ध की अवधि पूर्ण नहीं की जाती है या अनुबन्ध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो निगम उसकी प्रतिभू राशि जप्त करते हुए ऐजेन्सी बिना सूचना अथवा नोटिस के समाप्त करने के लिए अधिकृत होगा।
- 15- अनुबंध की शर्तों में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक महोदय द्वारा निर्णित पंच निर्णय अन्तिम होगा।
- 16- जहा पर निगम की कियोस्क स्थापित है उसका आगारीय कमेटी द्वारा निर्धारित किये जाने वाला किराया / बिजली खर्चा पृथक से देय होगा।
- 17- निगम मुख्यालय जयपुर द्वारा बुकिंग ऐजेन्सी आवंटन से सम्बंधित समय समय पर जारी सभी आदेशों की शर्त मान्य होंगे।
- 18- अनुबंध की उक्त शर्ते ऐजेन्ट को सौ रुपये के नान ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी प्रमाणित कराकर निगम कार्यालय में जमा कराना होगा।

मुख्य प्रबंधक  
टॉक आगार।

(निविदा फार्म फीस 200रु+18 प्रतिशि जीएसटी)

## निविदा फार्म

श्रीमान मुख्य प्रबंधक  
राजस्थान परिवहन निगम  
टोक आगार।

विषयः— बुकिंग ऐजेन्सी स्वीकृति हेतु आवेदन—पत्र।

श्रीमान,

निवेदन है कि मै .....

(स्टैण्ड का नाम) स्थान के लिये निगम की  
वाहनों के टिकिट बिक्री हेतु 1 वर्ष के लिये दर ..... प्रतिशत में बुकिंग ऐजेन्सी लेना  
चाहता हूँ।

मेरी योग्यता और अनुभव निम्न प्रकार हैं—

नामः—

पिता का नामः—

उमः—

स्थाई पता:-

व्यवसायः—

पूर्व अनुभवः—

मे यह धोषणा करता है कि :—मैने ऐजेन्सी स्वीकृति हेतु कोई प्रार्थना—पत्र अन्य स्थान  
के लिये प्रस्तुत नहीं किया है। मुझे निगम व अन्य स्थान संस्था द्वारा सेवा से बर्खास्त /  
सेवामुक्ति / हटाया नहीं किया गया हैं मैने ऐजेन्सी से सम्बधित शर्तों पढ़ ली तथा समझ ली  
है। और मै इन शर्तों को मानने की स्वीकृति देता हूँ।

निगम से जो भी निर्देश समय—समय जारी किये गये या होगें उन्हे मानने के लिये मै  
वाध्य हूँ। मुझे ऐजेन्सी स्वीकृत होती है तो अनुबन्ध पत्र भरने को तैयार हूँ।

संलग्नः—

भवदीय

बुकिंग ऐजेंसी हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची।

- 1.अंक तालिका सेकेण्डरी पास।
- 2.मूल निवास प्रमाण—पत्र/आधार कार्ड।
- 3.दो गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण—पत्र।
- 4.पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र प्रमाण—पत्र।
5. पासपोर्ट साईज 2 फोटों
- 6.बस स्टैण्ड पर दुकान/स्टॉल होने का स्थानीय ग्राम पचायत/निकाय द्वारा जारी प्रमाण—पत्र।
- 7.योग्यता से सम्बधित अन्य विवरण।

**END**